संख्या: 40/2015/275/छप्पन-2015-31/14

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 29 मई, 2015

विषयः राजकीय हवाई पट्टी, सैफई, इटावा पर कराये गये विद्युत संस्थापन का संचालन/अनुरक्षण आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1165/ए0एफ0-104-2015, दिनांक 19-2-2015 में किये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय हवाई पट्टी, सैफई (इटावा) पर कराये गये विद्युत संस्थापन के अनुरक्षण/संचालन हेतु सीसीआर आपरेटर के 03 पद, डी0जी0 सेट आपरेटर के 03 पद, इलैक्ट्रीशियन के 03 पद तथा हेल्पर के 06 पदों को आउटसोर्सिंग से रखे जाने की अनुमति अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग विद्युत/यांत्रिक खण्ड, कानपुर नगर को इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन निविदा के माध्यम से प्रतिस्पर्धी दरों के आधार पर किया जायेगा तथा इन पदों के लिए शैक्षिक अर्हता पद व कार्य के अनुरूप रखी जायेगी।

2- इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जब सैफई हवाई पट्टी का हस्तान्तरण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हो जायेगा और प्राधिकरण के स्तर से हवाई पट्टी पर अपने कार्मिक तैनात/नियुक्त कर दिये जायेंगे, तब इन पदों की आवश्यकता नही रह जायेगी और तदनुसार इन पदों को समाप्त कर दिया जायेगा।

---2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-38 के लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-आयोजनेतर-114-वाहन का क्रय-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय की मानक मद-02-मजदूरी से वहन किया जायेगा एवं उक्त व्यय संबंधी धनराशि निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा आहरित करके अधिशासी अभियन्ता, विद्युत/यंत्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कानपुर नगर को उपलब्ध करायी जायेगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-7-479/2015, दिनांक 27 मई, 2015 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या-40/2015/275(1)/छप्पन-2015, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम, (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, इटावा।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य अभियंता (वि0/यॉ0) लोक निर्माण विभाग, कानपुर।
5- वित्त (वेतन आयोग) अनु0-1/2
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-7
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।